न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 22/2002/नियम 18 राज. कोलो. नियम 1955

1. चेतराम पुत्र बस्तीराम जाति मेघवंशी साकिन नूआ तहसील भादरा।
2. विमला बेवा मनीराम जाति मेघवंशी साकिन नूआ तहसील भादरा।
3. महेन्द्र पुत्र मनीराम जाति मेघवंशी साकिन नूआ तहसील भादरा।
4. पतराम पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन नूआ तहसील भादरा।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. भूपसिंह पुत्र बुधराम जाति वाल्मिकी साकिन नूआ तहसील भादरा।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 08.01.2002 बअदालत प्रभारी अधिकारी (ए.सी.) भादरा जिसकी रूह से आराजी जरई खसरा नम्बर 367 तादादी 1.897 है0 बारानी वाके रौही मौजा नूआ तहसील भादरा छोटी पट्टी के रूप में रेस्पोडेंट नम्बर 1 को आवंटित की गयी।

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मदनसिंह चोटिया अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक –27.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जरई खसरा नम्बर 367 तादादी 1.897 है0 बारानी वाके रौही मौजा नूआ तहसील भादरा छोटी पट्टी के रूप में रेस्पोडेंट नम्बर 1 को आवंटित की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रोही मोजा नूआं तहसील भादरा के खसरा नं. 367 तादादी 1.897 है0 बारानी भूमि सिवाय चक है तथा वह भूमि स्माल पेच है तथा उक्त भूमि से पूर्व में चिपता हूआ खसरा नम्बर 368

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तादादी 8.562 है चेतनराम आदि अपीलांट का है तथा खसरा न. 367 के उतर में चिपता हुआ खसरा न. 361 तादादी 7.032 है0 पतराम अपीलांट का है तथा खसरा न. 367 के दक्षिण में चिपता हूआ खसरा न. 366 रामेश्वर आदि का खेत है तथा उक्त भूमि आस पास रेस्पोडेंट न. 1 का कोई खेत नहीं है तथा उसके पास मौजा नूंआ की रोही में कोई खेत नहीं है। जिससे यह रोशन है कि खसरा न. 367 के पड़ासी अपीलांट है और उक्त भूमि स्माल पेच में पाने का अधिकारी है तथा रेस्पोडेंट न. 1 के पास विवादित भूमि व मौजा नूआं की रोही में कोई खेत नहीं है तथा रेस्पोडेंट न. 1 ने साजिसान व नियम विरूद्ध दिनांक 08.01.2002 को खसरा न. 367/1.897 है0 छोटी पट्टी का आवंटन करवाया है। जो वह आवंटन करवाने का पात्र नहीं था तथा उक्त भूमि अपीलांटस व उसके पड़ौसी होने के कारण पाने के पात्र है तथा उक्त नियम विरूद्ध आवंटन से अपीलांट का अहित होता है, अदालत मातहत ने उक्त आदेश देने से पहले विवादित भूमि के बारे में कोई जांच नहीं की तथा ना ही रेस्पोडेंट न. 1 के उक्त भूमि पाने के पात्रता की जांच की। अदालत मातहत ने आदेश दिनांक 08.02.2002 पारित करते समय आवंटन नियम के प्रावधानों पर कोई गौर नहीं किया है तथा अदालत मातहत उक्त भूमि रेस्पोडेंट न. 1 को आवंटन करने में सक्षम नहीं थी। अदालत मातहत ने उक्त आदेश देने से पहले अपीलांट को कोई सुनवायी व सबूत का अवसर नहीं दिया तथा उक्त एकतरफा है तथा सहज न्याय के खिलाफ है इसलिए अपीलांट आवंटन आदेश दिनांक 08.01.2002 को अपास्त करवाने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेशय निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेंट भूपसिंह द्वारा प्रभारी अधिकारी जोगीवाला के समक्ष ग्राम नुंवा की 1.897 है0 भूमि आंवटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें हल्का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पटवारी ने रिपोर्ट की कि भूपसिंह पुत्र श्री बुधराम सा. नुवां का निवासी है। प्रार्थी भूमिहीन है। नुवां का ख.न. 367 सिवाचक बारानी भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा बाद जांच रेस्पोडेंट को प्रशनगत भूमि आवंटित की गई है जो की उचित है। अपीलांट ने बिना किसी आधार के उक्त अपील प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो0. सं. 1 भूपसिंह को राजस्थान उपनिवेशन अधनियम 1954 यथा उसके अन्तर्गत बने राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना क्षेत्र मे राजकीय भूमि का स्थाई आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 2 के तहत भूमिहीन कृषक/मजदूर और इन नियमो के नियम 13ए के अन्तर्गत कृषि भूमि का आवंटन किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने उक्त अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि ''रेस्पो0 उक्त भूमि आवंटन करवाने का पात्र नही था तथा उक्त भूमि अपीलांट उसके पडौसी काश्तकार होने के कारण आवंटन पाने का पात्र है। अपीलांट को विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा एकतरफा आदेश पारित कर रेस्पो0 को प्रश्नगत भूमि आवंटित की गई है।'' जबकि विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं. 1 भूपसिंह को राजस्थान उपनिवेशन अधनियम 1954 यथा उसके अन्तर्गत बने राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना क्षेत्र मे राजकीय भूमि का स्थाई आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 13ए के अन्तर्गत भूमि आवंटित की गई तथा राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना क्षेत्र मे राजकीय भूमि का स्थाई आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 13ए के अनुसार सरकारी भूमियों के आवंटन के पात्र व्यक्ति वह जो अस्थायी काश्त पट्टा के अधीन एक भूमिहीन काश्तकार के रूप मे सरकारी भूमियों पर पहले से ही व्यक्तिगत रूप से काश्त कर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रहा है जिसमे किसी अन्य काश्तकार को सुनने की आवश्यकता नही है। वादग्रस्त भूमि ग्राम नुवां की रोही मे 1.897 है0 बारानी भूमि रेस्पो0 सं. 1 के कब्जा काश्त मे है तथा रेस्पो0 सं. 1 भूपसिंह पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार भूमिहीन है तथा उसके नाम कोई रकबा नही है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना क्षेत्र मे राजकीय भूमि का स्थाई आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 13ए के अन्तर्गत रेस्पो0 सं. 1 को भूमि आवंटित की गई जिसमे किसी प्रकार की विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि प्रकट नही होती है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2002 पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अपील खारिज जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2002 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़